न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/597

नाथूलाल पहाडिया आत्मज श्री दूधा जाति खटीक निवासी ग्राम खेडाजगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नगर विकास न्यास, कोटा जरिये सचिव ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हुकुम चन्द जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 02 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 17.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92 (ए) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम उम्मेदपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 187/275 रकबा 0.20 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 203/273 रकबा 0.14 हैक्टर कुल 02 किता की कुल रकबा 0.34 हैक्टर भूमि आवंटित हुई थी । उसके पश्चात् उक्त भूमि वादी के गैर खातेदारी में दर्ज की गई । गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने के बाद तहसीलदार लाडपुरा ने बिना पक्षकारान की सुनवाई किये हुए व बिना वादी को सूचित किये उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर दी और उसके पश्चात् उक्त भूमि नगर विकास न्यास कोटा के खातेदारी में दर्ज कर दी जबकि उक्त भूमि पर वादी काबिज काश्त है । तहसीलदार लाडपुरा को उक्त भूमि गैर खातेदारी में दर्ज होने के बावजूद बिना विधिक प्रकिया अपनाये सिवायचक दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी वादी के गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक के 29.08.2018 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह साबित कर दिया था कि उक्त भूमि अपीलान्ट को आवंटित हुई थी और आवंटन के बाद उक्त भूमि अपीलान्ट के गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी । अपीलान्ट ने अपने कब्जे के सम्बन्ध में खसरा गिरदावरी पेश की थी जिसके बारे में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई फाइडिंग नहीं दी और प्रतिवादीगण द्वारा अपीलान्ट के वाद का कोई खण्डन भी नहीं किया गया है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन किया था कि बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया तथा नगर विकास न्यास को आवंटित कर दिया जबकि गैर खातेदारी की भूमि को सिवायचक दर्ज करने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट को आवंटित हुई थी जिसमें अपीलान्ट का नाम गैर खातेदारी में दर्ज था फिर भी अपीलान्ट को कोई अनुतोष नहीं दिया गया है । कब्जे के सम्बन्ध में खसरा गिरदावरी पेश की गई है जिसके बारे में कोई फाइडिंग नहीं दी । प्रतिवादीगण द्वारा अपीलान्ट के वाद के खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है । वादग्रस्त आराजी को बिना अपीलान्ट को सूचना दिये सिवायचक दर्ज कर नगर विकास न्यास, कोटा को आवंटन किया गया है जो विधि – विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक है जिसको विधि सम्मत रूप से नगर विकास न्यास, कोटा को अन्तरित किया गया है और आराजी अब नगर विकास न्यास, कोटा के खाते में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2018 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2054–57 पेश की है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी नाथू के गैर खातेदारी में थी । नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुसार वादग्रस्त आराजी नगर विकास न्यास, कोटा के खाते में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति पेश की गई है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 58 मिन का हाल खसरा नम्बर 187/262 रकबा 0.20 हैक्टर एवं साबिक खसरा नम्बर 63

मिन के हाल खसरा नम्बर 203/263 रकबा 0.14 हैक्टर कायम किये गये हैं । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2038–57 पेश की गई है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी सरकार सिवायचक दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी की फोटो प्रति संवत् 2046–49 के अनुसार वादग्रस्त आराजी संवत् 2047 में नाथूलाल के गैर खातेदारी में दर्ज करने की टिप्पणी अंकित है । संवत् 2046 में आराजी को सिवायचक दर्शाया गया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2046–49 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खाता सरकार सिवायचक दर्ज है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में नाथूलाल का शपथ पत्र, हेमराज, रूपचन्द का शपथ पत्र पेश किया परन्तु इन शपथग्रहिताओं ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्रों की ताईद नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेश किये गये दस्तावेजात को प्रदर्शित भी नहीं करवाया गया है । इसमें कुछ दस्तावेज प्रमाणित प्रतियॉ न होकर फोटो प्रतियॉ है ।

11. वादी के द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर उनको गैर खातेदारी प्रदान की गई थी इसके उपरान्त आराजी सिवायचक दर्ज कर नगर विकास न्यास, कोटा को आवंटित की गई जो त्रुटिपूर्ण है । अतः उक्त आराजी पर अपीलान्ट को खातेदारी प्रदान की जावे । वादी का यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मेन्टेनेबल नहीं है क्योंकि यदि वादी को गैर खातेदारी प्रदान की गई थी और उसके उपरान्त वो इस आराजी पर खातेदारी अधिकार चाहते हैं तो उन्हें नियमानुसार आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और आवंटन अधिकारी विधिक प्रक्रिया अपनाकर शर्तों की पालना होने की स्थिति में खातेदारी अधिकार प्रदान कर सकते हैं । चूँकि इस दावे में वादी ने स्वयं यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया और उसके उपरान्त नगर विकास न्यास के खाते में दर्ज की गई है तो इसका यह आशय निकलता है कि वादी के गैर खातेदारी दर्ज होने के उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने की स्थिति में आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया होगा । ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2018 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/597

नाथूलाल पहाडिया आत्मज श्री दूधा जाति खटीक निवासी ग्राम खेडाजगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नगर विकास न्यास, कोटा जरिये सचिव ।

—–प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2018 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 16/दावा/2015

नाथूलाल पहाडिया आत्मज श्री दूधा जाति खटीक निवासी ग्राम खेडाजगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—–वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नगर विकास न्यास, कोटा जरिये सचिव ।

—–प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 11.12.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश नामधराणी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 11.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

11/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा